भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3751
उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

आईआईटी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

†3751. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ हैं, में से 16 में कार्य नहीं हो रहा है और उन्होंने हाल ही में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि जिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में वर्तमान में कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ नहीं है, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करें;
(घ) क्या यह भी सच है कि मौजूदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों के लिए निधियों की कमी है;
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्रकोष्ठों को समय पर निधियों का आंवटन और संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) क्या अनेक प्रकोष्ठों को बैठकों और चर्चाओं के लिए कोई कक्ष आबंटित नहीं किया गया है और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए उनके पास कोई तंत्र अथवा जानकारी नहीं है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से **(च)**: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्वायत्त संस्थान हैं जो प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाए गए क़ानूनों द्वारा शासित होते हैं। सभी आईआईटी में कार्यात्मक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ हैं, और सुचारू संचालन के लिए उन्हें अपने संबंधित संस्थानों से आवश्यक वित्तपोषण और लॉजिस्टकल सहायता मिलती है।

******